

12.06.2024 पत्रावली पेश हुई।

अधिकतम वाडिगण इत्यादि। पत्रावली वर्ष 2009
में तलब, में समिकर है इस दौरान अधिकतम
वाडिगण को अनेकों अवकाश प्रदान किये गये,
परन्तु इसके अधिकतम वाडिगण ने नोटिस
तलबाना पेश नहीं किया है। अतः पत्रावली
असम तदमील में इसी पर तलब खारिज
की जाती है।

पत्रावली फास्ट ट्रेक शुभा (येक) संख्या
में शुभ की जाकर दाखिल करवा है। (पुनी)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर